INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

610873

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि — रू0 76,23,902/-
बाजारू मूल्य — रू0 23,27,800/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प— रू0 7,62,400/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — लखनऊ
3. ग्राम — अहमामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 700 रकबा

INDIA NON JUDICIAL

25000 25000

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5410874

-2-

1.082 हे0 में से 1.012 हे0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510875

5. मापन की इंकाई – हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 1.012 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – नहीं

10. बोरिंग/ कुआं अन्य– कुछ भी नहीं है ।

महेश

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>चौहद्दी खसरा नं0 700</u>

उत्तर :	खसरा नं0–690, 691, 692
दक्षिण:	खसरा नं0–701, 702, 704
पूरब :	चकरोड
पश्चिम:	खसरा नं0–708

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
रामलाल पुत्र जोधी निवासी–ग्राम–झिलझिल	:	महेश पुत्र गिरी लाल, निवासी ग्राम मिर्जापुर मिठारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

का पुरवा, मजरा अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ	पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

यह विक्रय विलेख रामलाल पुत्र जोधी निवासी–ग्राम–झिलझिल का पुरवा, मजरा अहमागढ़

महेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB

परगाना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है एवम् महेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी ग्राम गिर्जापुर

महेश

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510992

25 FEB 2009

TREASURY

-10-

भिटारी पो० नौबाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हे आगे

क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

महेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB 2008

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 70[illegible] रकबा 1.082 हे0 मे से 1.012 हे0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB

सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खसरा खतौनी क्रम सं0 00835 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

25000

25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510885

25 FEB 20[illegible]

विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेताओं को पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51,0886
25 FEB 2009
L K O T R Y

है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग व पट्टे की

उमेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510887
25 FEB

L K O T R Y

भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510888

25 FEB

या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 76,23,902/– के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510892

विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को दखली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510694

विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510895

दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके

महेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10897

कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510598

को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल

महेश

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510899

कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

महेश

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

510900

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही

प्रस्तावित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 157285

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 157284

का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 157462

23 FEB 20..

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 23,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 3 FEB

-13-

विक्रीत भूमि 1.012 हेक्टेअर की मालियत रू0 23,27,600/ होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 7,82,400/–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 FEB

LKO TRY

जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय

महेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पांच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 157287

गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 157286

विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों

महेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 FEB

अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 60,00,000/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 27.02.2008 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त कर चुके हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. विक्रेता को रु0 28,23,902/– द्वारा चैक संख्या– [illegible] दिनांकित 27.02.2008 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त कर चुके है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 549662

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 76,23,902/– (रूपया छिहत्तर लाख तेईस हजार नौ सौ दो मात्र) क्रेता से

विक्रय पत्र

7,623,952.00 2,287,000.00 3,000.00 40 3,040.00 2,000

[illegible] [illegible] फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री / श्रीमती [illegible]
पुत्र / पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी स्थायी [illegible]
अस्थायी पता

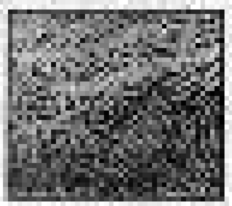

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/2/2008 समय 5:43PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

एस.एन.पाल
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
27/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]
[illegible]

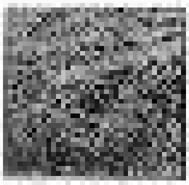

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]

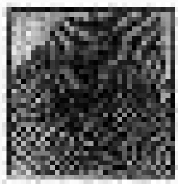

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार मिश्रा
पुत्र श्री बी.डी.मिश्रा
पेशा वकालत
निवासी [illegible]
व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी ई 1067 [illegible]
ने की।

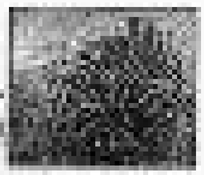

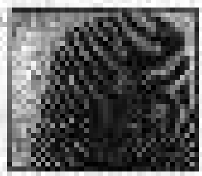

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एस.एन.पाल
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
27/2/2008

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 549663

प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:
दिनांक : 26.02.2008

गवाह : [illegible]

1. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

2. [illegible]
Madhvendra Kr. Srivastava
S/o Sri S.N. Prasad.
R/o C-1057, Rajajipuram,
Lucknow.

टाईपकर्ता:-
[illegible]
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता:-
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 1976 Year 2008 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

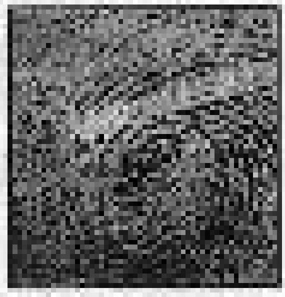

ग्राम अहमदाबाद परगना तहसील व जिला लखनऊ

[illegible]

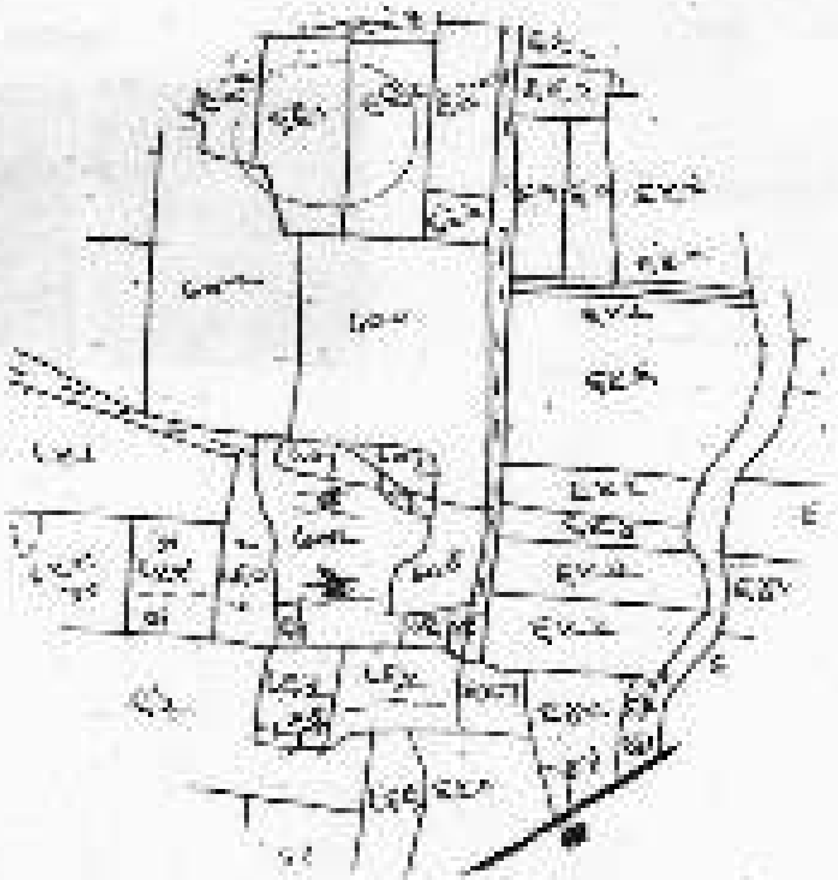

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

[illegible]

Registration No. 1976 Year : 2008 Book No. 1

0301 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

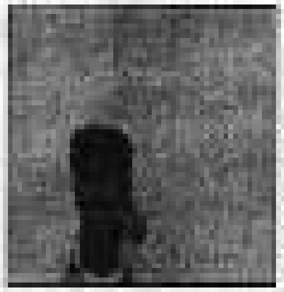

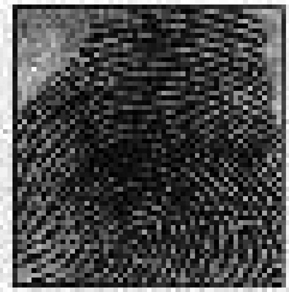

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

[illegible]कर्ता/विक्रेता का नाम व पता:– रामलाल पुत्र जोखी निवासी ग्राम–शिवदीन का पुरवा, मजरा अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

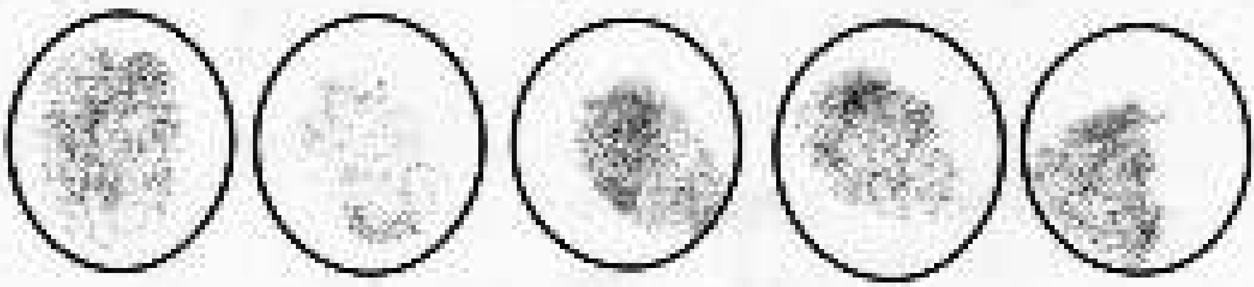

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता: महेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

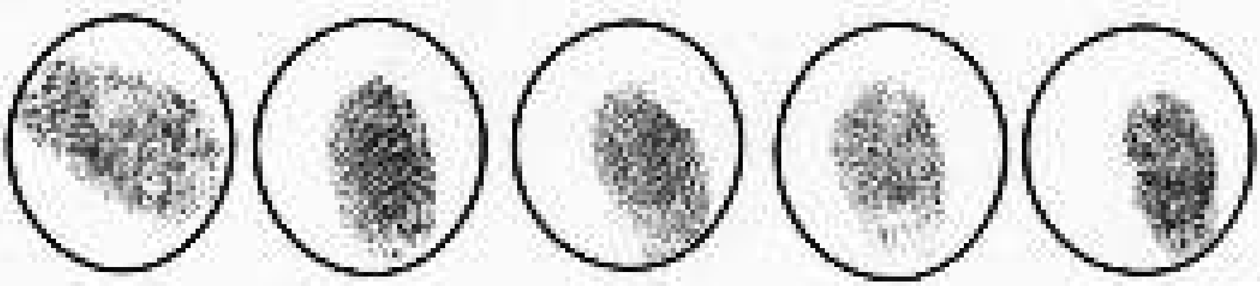

महेश

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 27/02/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 7295

पृष्ठ सं 15 से 102 पर क्रमांक 1976

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एस.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

27/2/2008